न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई॰ए॰एस

प्रकरण संख्या **01/2017** अपील (राजस्व)

1. श्री भॅवरसिंह पिता स्व. श्री गोवर्धनसिंह, निवासी वल्लभनगर, तहसील वल्लभनगर
2. श्री अभयसिंह पिता स्व. श्री गोवर्धनसिंह, निवासी वल्लभनगर, तहसील वल्लभनगर
3. श्री गणपतसिंह पिता स्व. श्री गोवर्धनसिंह, निवासी वल्लभनगर, तहसील वल्लभनगर
4. श्रीमती निहाल कुॅवर पिता स्व. श्री गोवर्धनसिंह, निवासी वल्लभनगर, तहसील वल्लभनगर

—— **अपीलान्टगण**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार वल्लभनगर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

—— **रेस्पोडेन्ट**

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम विरूद्ध तहसीलदार वल्लभनगर अन्तर्गत प्रकरण संख्या 814/2016 नाजायज कब्जा अन्तर्गत धारा 91 पटवारी हल्का वल्लभनगर बनाम भॅवरसिंह व अन्य दिनांक 15.11.2016

उपस्थित : श्री डालचन्द पोखरना, अधिवक्ता अपीलान्टगण
श्री मनोज कुमार पॅवार, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः—.....

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार वल्लभनगर के प्रकरण संख्या 814/2016 नाजायज कब्जा निर्णय दिनांक 15.11.16 से नाराज होकर यह अपील प्रस्तुत की गई हैं।

अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि राजस्व ग्राम सगतपुरा पटवारी हल्का वल्लभनगर तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर में स्थित आराजी संख्या 5106, 2337/2848 रकबा 10 बिघा 14 बिस्वा भूमि पर

अपीलार्थीगण का अतिक्रमण के संबंध में विद्ववान अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार वल्लभनगर के द्वारा दिनांक 15.11.2016 को भूमि से कब्जा हटाने तथा शास्ति आरोपित करते हुए फसल निलामी राशि रूपये 2200 रूपये से दण्डित किया जाने बाबत पारित किया हैं। उक्त भूमि पर अपीलार्थीगण का कब्जा अपने बाप दादाओ के वक्त से चला आ रहा है तथा जिसे अपीलार्थीगण के पिता व अपीलार्थीगण के द्वारा भूमि पर भारी लागत लगाकर भूमि को उपजाउ बनाया है तथा भूमि को आबादान किया है जिसमें अपीलार्थी ग्वार उड़द मक्की ज्वार की फसल काश्त कर पैदावार ले रहा हैं। प्रश्नगत भूमि 2337/2848 रकबा 10 बिघा 14 बिस्वा भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा अपने पिता के समय से वर्ष 1970 से कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त आराजीयात को तत्कालीन सरपंच भैरूलाल बोहरा ने अपने अवयस्क पुत्र गुलाबचन्द बोहरा के नाम अपने सरपंच पद का दुरूपयोग करते हुए एवं स्वयं एलोटमेंट कमेटी का सदस्य होते हुए अवैध तरिके से नियमन कर दिया। जिसकी अपील तत्समय न्यायालय आप में की गई जिसके मुकदमा नम्बर 02/81 होकर निर्णय दिनांक 11.08.81 से यह नियमन निरस्त किया गया। जिसकी अपील तत्कालीन सरपंच भैरूलाल बोहरा द्वारा राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर में की गई। माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर में किये जाने पर न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर द्वारा नियमन की कार्यवाही को उचित ठहराते हुए अपील बहाल रखी गई। जिसकी अपील अपीलार्थी द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में किये जाने पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के प्रकरण संख्या 160/86 निर्णय दिनांक 13.07.88 से नियमन निरस्त किया जाकर अपने निर्णय में यह आदेश किया कि यदि छल एवं कपट का सहारा लेकर किया गया अलोटमेंट या नियमन अवैध है जो निरस्त किया जाना उचित है जिसकी अपील तत्कालीन सरपंच गुलाबचन्द द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में की गई जहॉ पर भी उसकी रीट निरस्त कर दी गई। जिसके आधार पर भुमि पुनः बिलानाम दर्ज हुई। परन्तु वर्ष 1970 से आज तक अपीलार्थीगण का उनके पूर्वाधिकारीयों के समय से कब्जा चला आ रहा हैं। ऐसे कब्जे को निरस्त नहीं किया जाकर नियमन किया जावें। अतः अपील

अपीलार्थीगण स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विपक्षी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

पत्रावली में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा सगतपुरा, पटवार हल्का वल्लभनगर की आराजी नम्बर 5106/2337 एवं 2858 रकबा 10.14 बिघा भुमि पर कब्जा अपीलार्थीगणों का उनके पुर्वाधिकारीयों से निरंतर होकर चला आ रहा हैं। अपीलार्थीगण के पिता व अपीलार्थीगण के द्वारा भुमि पर भारी लागत लगाकर उपजाउ बनाया गया है तथा भुमि को आबादान किया गया हैं। यह कब्जा वर्ष 1970 से नियमित चला आ रहा हैं। वर्ष 1970 में तत्कालीन सरपंच भैरूलाल बोहरा द्वारा इस भुमि को अपने अवयस्क पुत्र गुलाबचन्द बोहरा के नाम अवैध तरीके से नियमन करवा दिया था। जिसको भी तत्कालीन जिला कलक्टर महोदय से निरस्त करवाया गया। जिसकी अपील सरपंच भेरूलाल बोहरा द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर में किये जाने पर न्यायालय द्वारा भी अपील खारीज कर दी गई। जिसकी अपील राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में किये जाने पर राजस्व मण्डल द्वारा भी अपील को खारीज कर दिया गया। साथही इसकी अपील माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में किये जाने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी रीट खारीज कर दी गई। अपीलार्थी की आजीविका मात्र कृषि पर निर्भर हैं। अपीलार्थीगण भुमिहीन काश्तकार हैं। आवंटन की पात्रता भी रखते हैं। बेदखल किये जाने पर परिवार के भुखे मरने की स्थिति पैदा हो जायेगी। अतः कृपया अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 15.11.16 निरस्त फरमाया जावें।

विद्ववान अधिवक्ता पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलार्थी का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है कि इस भुमि पर उसका कब्जा सन् 1970 से हैं। चुंकी अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो कि इस भुमि पर इनका कब्जा

पुराना हैं। पटवारी हल्का द्वारा जो नाजायज कब्जे की रिपोर्ट की गई है उसमें भी मात्र यही लिखा है कि कब्जा पुर्व से हैं। परन्तु कब्जा कितने समय से है इस बाबत कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। अतः अतिक्रमित भूमि राजकीय भुमि होने से अपीलार्थी का कब्जा अवैध होकर अपीलार्थी अतिक्रमी हैं। अतिक्रमी होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश सही हैं। अतः अपील अपीलार्थी खारीज कराना फरमावें।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन किया गया। पत्रावली पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का विस्तृत अध्ययन किया गया। अपीलार्थी का यह कथन तो साबित होता है कि तत्कालीन सरपंच भेरूलाल बोहरा ने अपने अवयस्क पुत्र गुलाबचन्द बोहरा के नाम अपने सरपंच पद का दुरूपयोग करते हुए एवं स्वयं अलोटमेंट कमेटी का सदस्य होते हुए भुमि का नियमन करवा दिया, जिसे निरस्त करवाये जाने में अपीलार्थी के पिता की भुमिका रही हैं। परन्तु अपीलार्थी का यह कथन साबित नहीं होता है कि इस भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा सन् 1970 से नियमित होकर इनके द्वारा काश्त की जाती रही हैं। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रतित होता है कि अतिक्रमित भुमि बिलानाम सरकार होकर अपीलार्थी का कब्जा पुर्व से हैं। परन्तु पुर्व में कब से है यह अपीलार्थीगण द्वारा अपने साक्ष्य सबुतो से साबित नहीं करवाया गया हैं।

दस्तावेजो के अवलोकन एवं बहस पर मनन करने के पश्चात् न्यायालय का मत है कि अतिक्रमित भुमि बिलानाम सरकार होकर अतिक्रमियों का कब्जा पुराना नहीं हैं। अपीलार्थीगण अपना कब्जा पुराना होना साक्ष्य सबुतो से साबित कराने में असमर्थ रहे हैं। जिससे भुमि का नियमन नहीं किया जा सकता हैं। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि में प्रदत्त प्रावधानानुसार ही दिया गया हैं। अपने निर्णय में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई कानुनी त्रुटी नहीं की गई हैं। अतः अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार वल्लभनगर के प्रकरण संख्या 814/16 ना.क. निर्णय दिनांक 15.11.16 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप किये जाने की कोई गुंजाईश नहीं हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज की जाती हैं।

निर्णय की प्रति मय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार हों। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर